अध्याय IV : परमाणु ऊर्जा विभाग

4.1 मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी की स्थापना

वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर, कोलकाता (वी.ई.सी.सी.) ने प्रस्तावित मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी में यंत्रों की स्थापना के लिए समय पर साईट तैयार नहीं की जिसके कारण ₹82.12 करोड़ के यंत्र आठ वर्ष से अधिक समय तक अनुपयोगी रूप से पड़े रहे तथा परियोजना भी ₹219.50 करोड़ के खर्च तथा स्वीकृति के 15 साल बाद तक भी अधूरी रही।

परमाणु उर्जा विभाग की शोध एवं विकास इकाई चर उर्जा साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता (वी.ई.सी.सी.) ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदान की गई 5.19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, डी.ए.ई. मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट के शीर्षक के तहत मेडीकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी की स्थापना के लिए किया था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 30 एम.ई.वी. के हाई बीम करंट प्रोटोन साइक्लोट्रॉन की स्थापना करना था, जिसका उपयोग परिष्कृत मटेरियल विज्ञान प्रयोगों का निष्पादन तथा रेडियो आइसोटोप्स का निर्माण करना था। रेडियो आइसोटोप्स का वृहत स्तर पर निर्माण/उत्पादन कुछ महंगी रेडियो फार्मास्यूटिकलज के आयात विकल्प के रूप में किया जाना था, ताकि उन्हें आमजन हेतु सस्ते कम दामों/मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा सके इस परियोजना का क्रियान्वयन संयुक्त रूप से वी.ई.सी.सी. तथा डी.ए.ई. की एक इकाई रेडियेशन एवं आइसोटोप बोर्ड तकनीकी बोर्ड द्वारा किया जाना था। वी.ई.सी.सी. का मुख्य कार्य साइक्लोट्रॉन तंत्र की स्थापना उसका परिचालन तथा शोध से संबंधित था। वही बी.आर.आई.टी. को साइक्लोट्रॉन मशीन द्वारा निर्मित फार्मास्युटिकल के निक्रम एवं वितरण का काम देखना था।

डी.ए.ई. ने उक्त प्रोजेक्ट के लिए जनवरी 2007 तक के पूर्णता समय के साथ-साथ ₹78.01[1] करोड़ की राशि स्वीकृत की थी (जनवरी 2004)। परियोजना के मुख्य उपलब्धियों में से कुछ, जुलाई 2004 तक इंजीनियरिंग डिजाईन का पूर्ण होना, जुलाई 2004 में साइक्लोट्रॉन की खरीदी का शुरू होना एवं मई 2006 तक पूरा होना, निर्माण कार्यों का मई 2006 तक पूरा होना, अगस्त 2006 तक साइक्लोट्रॉन तथा बीम लाईन की स्थापना, नवंबर 2006 तक साइक्लोट्रॉन की कमीशनिंग तथा दिसंबर 2006 तक उसकी उपयोगिता की शुरूआत होना प्रमुख हैं।

---

[1] जिसमें शामिल है - (ए) ₹58.78 करोड़ की लागत से मेडिकल साइक्लोट्रॉन की स्थापना; एवं (बी) ₹19.23 करोड़ की लागत से रेडियो आइसोटोप्स तथा रेडियोफार्मास्युटिकल्स के लिए प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना।

वी.ई.सी.सी. ने फेसीलिटी के लिए मास्टर प्लान, डिजाईन रिपोर्ट, विस्तृत अनुमान, ड्राइंग एवं निविदा अभिलेखों की तैयारी के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की (अक्टूबर 2005) जो 52 हफ्तों के अंदर पूर्ण करना था। परियोजना के समय के दौरान, वी.ई.सी.सी. ने मूल रूप से नियोजित बीम लाइनों के अलावा पांचवी बीम लाईन के निर्माण का कार्य शुरु किया (फरवरी 2005)। इस अतिरिक्त कार्य के लिए वेंडर के इनपुट की आश्यकता थी जो कि तब तक निर्धारित नहीं हो पाया था।

वी.ई.सी.सी. ने सामग्री, सेवाओं तथा यंत्रों की कीमत में बढ़ोत्तरी के साथ मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी की सेवाओं के लिए इमारत के निर्माण के कार्य में हुई बढ़ोत्तरी का हवाला देते हुए, समय सीमा को बढ़ाने तथा परियोजना की लागत को संशोधित करने के लिए डी.ए.ई. को एक प्रस्ताव दायर किया (दिसंबर 2005)। इसके अनुसार डी.ए.ई. ने परियोजना की लागत को (मई 2006) ₹98.25 करोड़ कर दिया तथा समय सीमा को मार्च 2008 तक बढ़ा दिया था। पहले संशोधन के दौरान, अतिरिक्त बीम लाईन के लिए लेआउट का निर्माण सप्लाईर के सकल इनपुट तथा उपयोग कर्ता की समझ के आधार पर किया गया।

सलाहकार ने मार्च 2008 से वी.ई.सी.सी. को ड्राइंग प्रदान करना शुरू किया। हालांकि, सलाहकार ड्राइंग का पूर्ण सेट वी.ई.सी.सी. को उपलब्ध नहीं करा सका जिसके चलते उसका अनुबंध (जुलाई 2014) समाप्त कर दिया गया तथा निर्माण सेवा तथा सम्पदा प्रबंधन निदेशालय, मुंबई (डी.सी.एस.ई.एम.)[2] को बची हुई ड्राइंग को पूरा करने का काम दिया गया। दिसंबर 2014 तक वी.ई.सी.सी. को क्रमानुसार ड्राइंग प्रस्तुत की गई थी।

इस दौरान निविदा प्रक्रिया के बाद, वी.ई.सी.सी. ने पूर्ण उपकरण फेसीलिटी की मांग के लिए क्रय आदेश स्थापना एवं कमीशनिंग का काम एक विदेशी फर्म[3] को 13,302,500 यूरो की लागत पर दिया (जुलाई 2006) जो कि मई 2008 तक पूर्ण किया जाना था। इसके बाद वी.ई.सी.सी. ने निर्माण कार्यों के लिए ₹ 18.33 करोड़ की लागत से एक फर्म को यह काम दिया (फरवरी 2008) जिसे जून 2009 तक समाप्त होना था। हालांकि, प्रस्तावित सुविधाओं में किए गए बदलावों और ड्रॉइंग को जारी करने में देरी के कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं हो सका। निर्माण फर्म ने (जुलाई 2009) वी.ई.सी.सी. को बताया कि ड्राइंग की उपलब्धता के आधार पर उसने जून 2009 तक लगभग 90 *प्रतिशत* कार्य पूरा कर लिया है तथा इस आधार पर शेष कार्य के लिए एक संशोधित कोटेशन पेश किया। वार्ताओं के पश्चात वी.ई.सी.सी. ने कार्य आदेश में संशोधन कर (दिसंबर 2010) लागत मूल्य को ₹24.50 करोड़ एवं समय सीमा को मई 2012 कर दिया।

---

[2] डी.ए.ई. की एक संस्था जो कि डी.ए.ई. के निर्माण कार्यों तथा एस्टेट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

[3] मैसर्स न्यू मर्चेण्ट्स इंटरनेशनल एल.सी.सी. दुबई यू.ए.ई.

इस दौरान साइक्लोट्रॉन एवं अन्य उपकरण वितरण के लिए तैयार किए गए (जनवरी 2008) तथा वी.ई.सी.सी. द्वारा उनका निरीक्षण किया गया (फरवरी 2008)। हालांकि, साईट निर्माण में हुई देरी के कारण वी.ई.सी.सी. ने पूर्तिकार को डिलीवरी देरी से करने का आग्रह किया। इसके अनुसार अक्तूबर 2008 तथा अगस्त 2009 के दौरान, वी.ई.सी.सी. ने ₹82.12 करोड़[4] मूल्य के क्रय आदेश के आधार पर 36 मद प्राप्त किए। स्थापना के लिए साईट की अनुपलब्धता के चलते प्राप्त किए गए उपकरण पैक स्थिति में वी.ई.सी.सी. में रखे गए।

वी.ई.सी.सी. ने (नवंबर 2011) डी.ए.ई. को परियोजना लागत तथा समय सीमा में दूसरे संशोधन को लेकर एक और प्रस्ताव भेजा, जिसका आधार फिर से कार्य क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी एवं कीमतों में हुई वृद्धि को बताया गया। वी.ई.सी.सी. के प्रस्ताव के आधार पर डी.ए.ई. ने (नवंबर 2013) परियोजना लागत को ₹241.34 करोड़ एवं परियोजना की समय सीमा को मार्च 2017 कर दिया। इस प्रकार, दो संशोधनों के कारण, परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹166.33 करोड़[5] बढ़ गई।

निर्माण कार्य पूरे होने के बाद जून 2016 में वी.ई.सी.सी. द्वारा साईट का अधिग्रहण कर लिया गया। काम पूरा होने में हुई देरी के कारण, पूर्तिकार ने मूल लागत पर स्थापना करने से मना कर दिया। चूंकि उनके द्वारा उद्धृत संशोधित लागत काफी ज्यादा थी, इसलिए क्रय आदेश को बंद कर दिया गया और स्थापना का कार्य वी.ई.सी.सी. द्वारा अपने आंतरिक स्त्रोंतों का उपयोग करते हुए नवंबर 2017 से शुरू कर दिया गया। मई 2019 तक, मेडिकल साइक्लोट्रॉन एवं बीम लाईंस की कमीशनिंग का काम तो पूरा हो चुका था लेकिन फेसीलिटी के उपयोग हेतु परिचालन की अनुमति अभी भी परमाणु उर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.)[6] से प्राप्त होनी बाकी थी। मई 2019 तक वी.ई.सी.सी. द्वारा परियोजना पर कुल मिलाकर ₹219.50 करोड़ का खर्च किया जा चुका था।

लेखापरीक्षण में यह सामने आया कि वी.ई.सी.सी. द्वारा उपकरणों के अधिग्रहण, प्रस्तावित फेसीलिटी का निर्धारण, निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन तथा समय सीमा के पालन के समन्वयन तथा योजना में हुई कमी के फलस्वरूप परियोजना के पूरा होने में देरी हुई तथा लागत आधिक्य का सामना करना पडा। वी.ई.सी.सी. ने परियोजना के अनुमोदन के एक वर्ष से अधिक समय के बाद मार्च 2005 में परियोजना के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का कार्य किया। वी.ई.सी.सी. कार्य की मध्यावधि में

---

4 1,27,02,000 यूरो *64.65= ₹82.12 करोड़ (एक यूरो की रूपांतरण दर के आधार पर ₹64.65)

5 जिसमें से ₹106.92 करोड़ काम के दायरे में वृद्धि की ओर था, ₹44.08 करोड़ मूल्य वृद्धि के कारण था, ₹12 करोड़ विदेशी मुद्रा भिन्नता के कारण था और ₹33 लाख वेतन पर खर्च की ओर था

6 ए.ई.आर.बी. का गठन नवंबर 1983 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियामक और सुरक्षा कार्यों को करने के लिए किया गया था।

हुए प्रस्तावित निर्माण कार्यों में हुए बदलावों के चलते ड्राइंग का अंतिम निर्धारण भी नहीं कर सका, जिसके कारण निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में भी देरी हुई। इसके फलस्वरूप उपकरण की स्थापना के लिए साईट समय पर तैयार नहीं की जा सकी जिसके कारण ₹82.12 करोड़ मूल्य के उपकरण प्राप्ति के बाद से आठ साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहे। निर्माण कार्यों में हुई देरी के चलते उपकरण की स्थापना की लागत में पूर्तिकार द्वारा निरंतर वृद्धि की गई जिसके फलस्वरूप योजना में हुए बदलाव के कारण वी.ई.सी.सी. को स्वयं उपकरण की स्थापना करनी पड़ी। इसके फलस्वरूप, यंत्र से संबंधित भविष्य में होने वाली वित्तीय एवं परिचालानात्मक जिम्मेदारियों (देखरेख, कमियां, खराबी) का वहन वी.ई.सी.सी. को स्वतंत्र रूप से करना होगा।

परियोजना के निष्पादन में 10 वर्षों से अधिक की देरी के कारण ₹44.08 करोड़ की कीमत बढ़ गई।

डी.ए.ई. ने नवंबर 2013 में परियोजना के दूसरे पुनरीक्षण के दौरान पांचवी बीम लाईन के जुडने की बात को देरी का कारण बताते हुए स्वीकार तो किया (अक्टूबर 2018), लेकिन साथ ही साथ यह भी तर्क दिया कि फेसीलिटी की विशिष्ट प्रकृति के कारण सप्लाईर, सक्षम प्राधिकारियों से बार-बार संपर्क स्थापित करने, ए.ई.आर.बी. के नियमों का पालन करने में हुए बदलावों आदि के कारण यह कार्य वी.ई.सी.सी. के नियंत्रण से बाहर था। डी.ए.ई. ने आगे बताया कि मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा को वी.ई.सी.सी. द्वारा सितंबर 2018 में कमीशन कर दिया गया था। हालांकि, वी.ई.सी.सी. ने कहा (मई 2019) कि मेडिकल साइक्लोट्रॉन फेसीलिटी का उपयोग प्रस्तावित उद्देश्य हेतु ए.ई.आर.बी. से परिचालन की अनुमति मिलने के बाद ही किया जाएगा।

डी.ए.ई. का उत्तर सुविधा की स्थापना के लिए योजना और समन्वय में कमी के आलोक में देखा जाता है। भले ही पांचवी बीम लाईन फरवरी 2005 में प्रायोजित की गई हो, इसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव नवंबर 2011 में किया गया जिसकी समय सीमा मार्च 2015 रखी गई थी, जिसे नवंबर 2013 को प्राप्त स्वीकृति में मार्च 2017 कर दिया गया था। तथ्य यह है कि हालांकि स्थापित है, मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा अभी भी चालू नहीं थी क्योंकि यह ए.ई.आर.बी. की मंजूरी के इंतजार में है। इस परियोजना के लिए निर्धारित उद्देश्यों जैसे कि परमाणु उर्जा संयंत्रों के लिए सामग्री का निर्माण तथा प्रमुख रेडियो फार्मास्युटिकल्जस के आयात विकल्प का निर्माण ताकि उन्हें भारत के आमजनों के लिए कम दामों पर उपलब्ध कराया जा सके की प्राप्ति नहीं की जा सकी है।

4.2 आयन ट्रैप सिस्टम की स्थापना

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के लिए खरीद एवं भंडार निदेशालय, मुंबई द्वारा ₹2.13 करोड खर्च करके एक आयन ट्रैप सिस्टम खरीदा गया था, जिसे खराब पुर्जों के चलते सात साल से ज्यादा होने के बाद भी स्थापित नहीं किया जा सका। इस क्रय की सुरक्षा के लिए उक्त संगठनों ने आवश्यक वित्तीय सुरक्षा उपाय हासिल नहीं किए।

परमाणु उर्जा विभाग, (डी.ए.ई.) के क्रय नियमावली के अनुसार, किसी खराब यंत्र/उपकरण के लिए वारंटी पीरियड के दौरान सुधार या प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने एवं वारंटी कर्तव्यों के निर्वहन एवं खराब यंत्रों/ उपकरणों के पुर्ननिर्यात के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता परफॉरमेंस बोंड के रूप में होती है। सामान्य वित्तीय नियम, 2005 (जी.एफ.आर.) के नियम 158 के अनुसार बोली लगाने वाले से परफॉरमेंस सिक्योरिटी के रूप में अनुबंध के मूल्य का पॉच से 10 *प्रतिशत* लिया जाना चाहिए जिसकी अवधि वारंटी कर्तव्यों के साथ-साथ अनुबंध की सभी शर्तों के पूरा होने की अवधि से 60 दिन अधिक की होगी।

डी.ए.ई. की एक इकाई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई (बी.ए.आर.सी.) ने (मार्च 2009) में 'एल.सी. (ई.एस.आई.) (आयन ट्रैप सिस्टम) एम.एस./एम.एस.' खरीदने की मांग, XI परियोजना "जीव विज्ञान तंत्र में विकिरण प्रभाव" के तहत की। यह उपकरण बी.ए.आर.सी. की मॉडयूलर लैबोरेटरीज बिल्डिंग में जैविक अनुसंधान हेतु लगाया जाना था।

खरीद एवं भंडार निदेशालय, मुंबई[7] ने निविदा के बाद, ब्रूकर डाल्टॉनिक जी.एम.बी.एच., जर्मनी को आयन ट्रैप सिस्टम की खरीद के लिए (नवंबर 2010), यूएसडी 3,98,427 का एक क्रय आदेश दिया। खरीद के दायरे में निर्माण, पूर्ती, स्थापना, तथा तंत्र की कमीशनिंग शामिल थी। इसके साथ-साथ प्रशिक्षण तथा वारंटी भी शामिल थी। भुगतान की शर्तों के मुताबिक, कुल खर्च के 90 *प्रतिशत* का भुगतान अपरिवर्तनीय साख पत्र के रूप में तथा 10 *प्रतिशत* का भुगतान उपकरण की संतोषजनक स्थापना और कमीशनिंग के 30 दिन के अंदर किया जाएगा। तंत्र की डिलीवरी साख पत्र प्राप्त होने के 24 हफ्तों के अंदर की जानी थी।

क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, क्रय की गई वस्तुओं पर निर्माण त्रुटियों के तथा दोषपूर्ण कारीगरी के विरूद्ध स्थापना की तारीख से 24 महीने तक या नौवहन की तारीख से 26 महीने तक जो भी पहले हो तक की वारंटी प्रदान की गई थी। यदि इस दौरान उपकरणों में कोई खराबी आती है तो उसे ठीक करने/ बदलने की

[7] डी.ए.ई. की केंद्रीय खरीद संस्था।

जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं के खर्च पर होगी। इसके साथ पूर्तिकार के भारतीय एजेंट को भी उपकरण के कुल मूल्य के 10% का परफॉर्मेंस बांड जो कि बैंक गारंटी के रूप में होगा प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसकी अवधि गारंटी पीरियड तक की होगी।

यह सिस्टम बी.ए.आर.सी. को मई 2012[8] में प्राप्त हुआ लेकिन मशीन में लगे दो आवश्यक हिस्सों में खराबी होने के कारण इसे मई 2013 में ही स्थापित किया जा सका। स्थापना के बाद भी सिस्टम सही तरीके से नहीं चल सका और खराब हिस्सों के चलते समय-समय पर समस्याएँ उत्पन्न करता रहा। सप्लायर के निरीक्षण में यह पाया गया की समस्याएँ प्रयोगशाला में आवश्यक तापमान न बनाए रखने के कारण उत्पन्न हो रहीं हैं। इस संबंध में सप्लायर ने बी.ए.आर.सी. से परिवेश के तापमान तथा धूल की स्थितियों को सुधारने को लेकर अनुरोध किया (अक्टूबर 2014)। हालांकि एक प्रस्तावित सुरक्षा जाँच के दौरान, मॉडयूलर लैबोरेटरीज बिल्डिंग को एसी यूनिटों के संचालन के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस दौरान, मई 2014 में उपकरण का वारंटी काल भी समाप्त हो गया। उपकरण पर ₹2.13[9] करोड़ का खर्चा किया गया था।

इस तंत्र को अंततः (जुलाई 2016) में नई जगह भेज दिया गया जहां का तापमान प्रस्ताव के मुताबिक था। लेकिन इस बार उपकरण का मापांकन खो गया। सप्लायर ने उपकरण को अपनी जर्मनी स्थित फैक्ट्री में सुधारने के लिए हामी तो भर दी लेकिन इसके लिए बैंक गारंटी देने से मना कर दिया। लंबे समय अंतराल तक चले संवाद के बाद सप्लायर अंततः खराब उपकरण के बदले एक (सितंबर 2018) नया उपकरण देने को तैयार हुआ। लेकिन अगस्त 2019 तक यह प्रतिस्थापन नहीं हो सका क्योंकि जर्मन सरकार से निर्यात की अनुमति तब तक प्रतिक्षित थी।

लेखापरीक्षण में यह सामने आया कि बी.ए.आर.सी. तंत्र के लिए आवश्यक परिस्तिथियों वाली साईट उपलब्ध नहीं करा सकी जिसके कारण पहली बार में ही इसमें खराबी आयी। आवश्यक तापमान वाली साईट तथा परिवेशात्मक वायु स्थितियाँ उपलब्ध कराने में लगभग तीन साल का विलंब हुआ। लेखापरीक्षण में यह भी सामने आया कि डी.पी.एस. सप्लायर के भारतीय एजेंट से परफॉरमेंस बैंक गारंटी प्राप्त करने में भी असफल रहा, जो कि क्रय आदेश में, सिस्टम के संतोषजनक प्रदर्शन को लेकर आवश्यक था। क्रय आदेश में मौद्रिक गारंटी को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं था जो कि बी.ए.आर.सी. को खराब उपकरण के ना बदले जाने की स्थिति में सुरक्षित रखता।

---

[8] एल.सी. मार्च 2012 में खोला गया।

[9] भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, निकासी शुल्क तथा सिस्टम के 90 *प्रतिशत* लागत के साथ।

बी.ए.आर.सी. ने बताया (दिसंबर 2016) कि इस मशीन के द्वारा जो कार्य किया जाना था वह दूसरी संस्थाओं में मौजूद समान संरचना के द्वारा किया जा रहा था और बी.ए.आर.सी. के आयन ट्रैप सिस्टम का उपयोग XII परियोजना के कार्यों के लिए किया जाएगा। डी.ए.ई. ने बताया कि (अगस्त 2019) कि उपकरण को कमीशन कराने में हुए बिलंब का मुख्य कारण स्थापना की जगह में हुआ बदलाव तथा सप्लायर द्वारा निर्यात की अनुमति प्राप्त करने में लगा अत्यधिक समय है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हासिल ना करने को लेकर डी.ए.ई. ने यह स्प्ष्ट किया कि सप्लायर से पी.बी.जी. सिस्टम की सफल स्थापना एवं कमीशनिंग के बाद लिया जाना था।

यह उत्तर स्वीकार्य इसलिए नहीं है, क्योंकि उपकरण को तब तक कमीशन नहीं किया गया था, जिसके कारण उसका उपयोग उल्लिखित जैविक शोध के लिए XII परियोजना में भी नहीं किया जा सका। निर्यात लाइसेंस प्राप्त ना होने के कारण जो कि एक साल से रूका हुआ था खराब हिस्सों को बदला नहीं जा सका जो कि एक परिचालानात्मक जोखिम है। साथ ही साथ यह भी सही नहीं है कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी स्थापना और कमीशनिंग के बाद हासिल किया जाए, जबकि क्रय आदेश में इसे नौवहन के समय देने की बात की गई थी। यह जी.एफ.आर. के उस नियम के विरोधाभास में है, जिसमें यह बताया गया है कि पी.बी.जी. अनुबंधात्मक दायित्वों की पूर्ण पूर्ति के पहले ही अंतिम रूप से हासिल किया जाना चाहिए, जिसकी अवधि सप्लायर की अनुबंधात्मक दायित्वों की पूर्ति के 60 दिन बाद तक का होगा। साथ ही डी.ए.ई. की क्रय नियमावली स्प्ष्ट रूप से यह व्याख्या करती है, कि प्रणाली में खराबी होने या प्रदर्शन संबंधी शिकायतों के विरूद्ध प्रतिभूतियाँ ली जाएँ। अतः क्रय आदेश से इस आवश्यकता को छोड़ना क्रय नियमावली के अनुसार नहीं था। खराब उपकरण के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक सिक्योरिटी ना लेने के कारण इस क्रय को वित्तीय जोखिम के रूप में प्रस्तुत किया है।

इस तरह ₹2.13 करोड खर्च करने के बाद भी, खराब हिस्सों के ना बदले जाने के कारण यह उपकरण सात साल तक बेकार पड़ा रहा। सिस्टम के लिए साइट की स्थिति प्रदान करने में बी.ए.आर.सी. की अक्षमता के कारण यह खराब हुआ और इसकी स्थापना में और देरी हुई। देरी व खराब हिस्सों के बदले जाने को लेकर जब तक आवश्यक प्रावधान क्रय आदेश मे नहीं किए जाते तब तक खराब हिस्सों के बदलाव को लेकर और विलंब होने का भी जोखिम है।

4.3 मेडिकल स्टॉक की कम कवरेज के कारण हानि

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई ने इन्वेंट्री स्तरों की वास्तविक प्रवृत्ति के आधार पर अपने मेडिकल स्टॉक के लिए बीमित राशि का मध्यावधि संशोधन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कम कवरेज हुई तथा अग्नि हादसे के बाद बीमा दावे से ₹1.64 करोड़ की हानि हुई।

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई (टी.एम.एच), टाटा मेमोरियल केन्द्र, मुम्बई के अंतर्गत कार्य करता है जो कि परमाणु उर्जा विभाग (डी.ए.ई.) का एक स्वायत संस्थान है। टाटा मेमोरियल अस्पताल ने ₹18.62 करोड़ (31 मार्च 2016 तक स्टॉक मूल्य) के मूल्य के अपने मेडिकल स्टॉक हेतु ₹9.82 लाख के प्रीमियम पर 25 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2017 तक की अवधि के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक मानक आग और विशेष जोखिम बीमा पॉलिसी ली थी (अप्रैल 2016)।

टी.एम.एच. मे 11 फरवरी 2017 को मुख्य औषधालय इमारत में आग के कारण एक हादसा हुआ था। टी.एम.एच. ने (मई 2017)। उक्त आग में मेडिकल स्टॉक की हानि हेतु ₹6.02 करोड़ के बीमा का दावा किया हानि की तारीख तक दवाई के स्टॉक की कीमत ₹25.60 करोड़ थी। हालांकि, चूंकि बीमित राशि ₹18.62 करोड़ थी, बीमा कंपनी ने दावा की गई राशि से स्टॉक के मूल्य का 27.28[10] *प्रतिशत* के अनुपात मे घटा दिया था तथा स्टॉक की हानि हेतु केवल ₹4.38[11] करोड़ का दावा ही स्वीकृत किया। टी.एम.एच. को दावा की गई राशि में से कटौती योग्य राशि[12], जो कि पॉलिसी में निर्धारित थी, को समायोजित करने के बाद ₹4.20 करोड़ की कुल दावा राशि प्राप्त हुई। परिणामतः टी.एम.एच. द्वारा रखे गई अबीमित स्टॉक के संदर्भ में ₹1.64 करोड़[13] के बीमे के दावे की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीमा कंपनी के संदर्भ में अग्नि बीमा हेतु सामान्य नियम एवं विनियमों में एक प्रावधान सम्मिलित था जिससे बीमित राशि में मध्यावधि वृद्धि या कमी की अनुमति क्रमशः यथानुपात के आधार अथवा लघु अवधि के पैमाने पर दी गई थी। लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 की अवधि हेतु मेडिकल स्टॉक के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा बनाए गए मासिक

---

10 हानि की तिथि तक स्टॉक का बीमा नही हुआ थाः ₹25.59 करोड़ - ₹18.62 करोड़ = ₹6.98 करोड़ अर्थात 27.28 *प्रतिशत*

11 टी.एम.एच. द्वारा दावा की गई राशि ₹6.02 करोड़ - ₹1.64 करोड़ (₹6.98 करोड़ के अबीमित स्टॉक के लिए 27.28 *प्रतिशत* होने के नाते) = ₹4.38 करोड़

12 बीमा पॉलिसी में न्यूनतम ₹25,000 तक के दावे की राशि के पाँच *प्रतिशत* की अनिवार्य कटौती हेतु एक खण्ड सम्मिलित है जो अनुमानतः ₹21.89 लाख था।

13 टी.एम.एच. द्वारा दावा की गई राशि ₹6.02 करोड़ - बीमा कंपनी द्वारा ₹4.38 करोड़ की स्वीकृत दावा = ₹1.64 करोड़

इन्वेंट्री स्तरों की जाँच की तथा पाया कि इन्वेंट्री का स्तर जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक के सभी महीनों के लिए बीमित राशि से 7.79 से 34.88 *प्रतिशत*[14] अधिक था। हालाँकि स्टॉक का स्तर लगातार बीमित राशि से अधिक था लेकिन टाटा मेमोरियल अस्पताल ने बीमित राशि के मध्यावधि संशोधन के विकल्प का उपयोग नहीं किया। अतः टाटा मेमोरियल अस्पताल के पास 27.28 *प्रतिशत* इन्वेंट्री थी जिसका बीमा नहीं हुआ था और इसलिए जब अग्नि हादसा हुआ तो दावे के लिए योग्य नहीं था। वास्तव में, पिछले वर्ष के लिए स्टॉक स्तरों की मासिक जाँच में प्रकट हुआ कि टाटा मेमोरियल अस्पताल ने 10 करोड़[15] की स्टॉक मूल्य के लिए बीमा पॉलिसी ली थी लेकिन अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक के सभी महीनों में ₹14.81 करोड़ से लेकर ₹20.01 करोड़ की इन्वेंट्री रखी गई थी। इस प्रकार टाटा मेमोरियल अस्पताल ने मेडिकल स्टॉक का लगातार कम बीमा करवाया था। अस्पताल (टाटा मोटर्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा नियुक्त किये गए बीमा सलाहकार ने भी अस्पताल की ओर से इस चूक को इंगित नहीं किया था।

डी.ए.ई. ने स्वीकार (अगस्त 2019) किया कि स्टॉक मूल्य की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थीं।

मेडिकल स्टॉक हेतु बीमा राशि में मध्यावधि संशोधन न करने की विफलता के परिणामस्वरूप स्टॉक की कम कवरेज हुई और बीमा दावे के प्रति ₹ 1.64 करोड़ की हानि हुई। अस्पताल को उसके अधिकार में रखे गए स्टॉक के बीमे से संबंधित प्रक्रियाओं में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि इन्वेंट्री स्तरों के आवधिक मूल्यांकन और बीमा को तदानुसार समायोजित किया जा सके।

4.4 अल्प अवधि के अनुबंधों में लागत में बढ़ोतरी

इंदिरा गाधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम ने सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी कार्य प्रक्रियाओं में लागत वृद्धि प्रदान करने के प्रावधान को संशोधित किया, जिसके परिणामस्वरूप नमूना जाँच में लिए गए नौ अनुबंधों में लागत वृद्धि हेतु ₹1.10 करोड़ खर्च हुए।

केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग की नियमावली 2012 की धारा 33 के खंड 10(सीसी), के अनुसार ऐसे अनुबंध जिसमें कार्य पूरा होने का समय 18 महीने से अधिक है, उनमें

---

[14] जूलाई 2016: 7.79 *प्रतिशत*, अगस्त 2016: 20.06 *प्रतिशत*, सितंबर 2016: 8.26 *प्रतिशत*, अक्तूबर 2016: 28.48 *प्रतिशत*, नबंबर 2016: 34.66 *प्रतिशत*, दिसंबर 2016: 32.31 *प्रतिशत* और जनवरी 2017: 34.88 *प्रतिशत*

[15] टी.एम.एच. ने मेडिकल स्टॉक, जिसका इन्वेंट्री मूल्य ₹10 करोड़ था, के लिए पहली बार 25 अप्रैल 2015 से 24 अप्रैल 2016 तक की अवधि हेतु बीमा लिया था।

अनुबंध की राशि में बदलाव कार्य को निष्पादित करने में लगे मजदूरों की संख्या/सामग्री के मूल्य में बदलाव के कारण हो सकता है। 18 महीने का समय फरवरी 2003 से लागू था। इससे पहले, मूल्य परिवर्तन का यह नियम ऐसे अनुबंधों पर लागू था जिनकी अवधि छह महीने से अधिक थी। सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली 2012 को अगस्त 2013 में संशोधित किया गया तथा कीमतों में परिवर्तन का यह प्रावधान उन अनुबंधो पर भी लागू किया गया जिनमें कार्य के पूरा होने की अवधि 12 महीने से अधिक थी।

परमाणु उर्जा विभाग ने (मई 2006) में अपनी सभी घटक इकाइयों को निर्देश जारी किए कि अब से होने वाले निर्माण कार्यों में सी.पी.डब्ल्यू.डी. की नियमावली का पालन किया जाए। उक्त निर्देशों की शर्त के अनुसार, विभाग द्वारा कार्य प्रक्रियाओं में बदलाव सी.पी.डब्ल्यू.डी. की नियमावली में हुए बदलावों के अनुसार परमाणु उर्जा समिति (ए.ई.सी.) के वित्तीय सदस्य की अनुमति/सलाह के अनुसार होना चाहिए।

डी.ए.ई. की एक घटक इकाई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम (आई.जी.सी.ए.आर.) की सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन (सी.ई.डी.) ने एक प्रस्ताव रखा (जुलाई 2007) कि, खंड 10(सीसी) के लिए निर्धारित 18 महीने की समय सीमा ज्यादा प्रतीत होने के कारण इसे छह महीने ही रखा जाए। आई.जी.सी.ए.आर. द्वारा नोडल अधिकारी तथा निर्माण सेवाओं और एस्टेट प्रबंधन के निदेशालय (डी.सी.एस.ई.एम.)[16] तथा टेंडर समिति[17] के सदस्यों को सहमति के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी (जुलाई 2007)।

इस अनुसार, आई.जी.सी.ए.आर. ने खंड 10(सीसी) के प्रावधान के तहत ऐंसे सभी कार्य, जिनकी अवधि छह महीने से अधिक थी के लिए निविदाएँ दायर की। अभिलेखों के नमूना जाँच में यह सामने आया कि कार्य निष्पादन हेतु किए गए (मार्च 2011 से अप्रैल 2015) नौ अनुबंधों जिनकी कुल कीमत ₹21.80 करोड़ थी तथा जिनकी समय सीमा आठ से 15 महीने थी के लिए छह माह से ज्यादा अवधि के लिए लागत में बढ़ोत्तरी के चलते ₹1.10 करोड़ का खर्च वहन किया गया। इन नमूना जाँच में लिए गए अनुबंधों की सूची **अनुलग्नक 4.1** में दी गई है।

डी.ए.ई. के मौजूदा नियमों/निर्देशों के मुताबिक, आई.जी.सी.ए.आर. को लागत में बढ़ोत्तरी की पात्रता की अवधि घटकर छः महीने करने से पहले डी.ए.ई/ वित्त सदस्य, ए.ई.सी. की स्वीकृती लेनी थी। आई.जी.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित कार्य के प्रावधानों में बदलाव करने के प्रक्रिया को पूरा करने में कमी के कारण नमूना जाँच

---

[16] डी.ए.ई. के अंतर्गत एक सेवा संगठन जो कि डी.ए.ई. के निर्माण कार्यों तथा उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

[17] एसोसिएट निदेशक, इंजीनियरिंग सर्विसेस ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई तथा संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) आई.जी.सी.ए.आर.

किए गए नौ अनुबंधों में ₹1.10 करोड़ की लागत में बढ़ोत्तरी हुई जिनमें अन्यथा कोई भुगतान नहीं करना था।

डी.ए.ई. ने बताया कि (नवंबर 2018) विशेष रूप से छूट दिए जाने के कारण, विभाग ने कार्य प्रक्रियाओं एवं कार्य को पूरा करने के नियमों तथा अनुबंध की शर्तों में अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक बदलाव किए हैं। डी.ए.ई. ने आगे बताया कि पात्र अनुबंध समय सीमा को बढ़ाने को लेकर निदेशक, डी.सी.एस.ई.एम. की स्वीकृति ले ली गई थी, जो कि नोडल अधिकारी हैं, जिसे पर्याप्त माना गया था।

निदेशक, डी.सी.एस.ई.एम., डी.ए.ई. के कार्य प्रक्रिया में प्रस्तावित परिवर्तनों में बदलावों की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। विभाग यह सुनिश्चित करे कि डी.ए.ई. की कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए।